PRESS RELEASE

जनपद–हापुड़ दिनांकः–अक्टूबर 19,2020

दिनांक 06.08.2020 को थाना गढमुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत बच्ची के साथ जघन्य दुष्कर्म की घटित सनसनीखेज घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 342/2020 धारा 363/376AB भादवि 5 (M)/6 पोक्सो एक्ट के अभियुक्त दलपल पुत्र रोहताश निवासी ग्राम महमूदपुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा को माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) हापुड द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय अभियुक्त की अन्तिम सांस तक रहेगा तथा एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

❖ <u>संक्षिप्त विवरणः–</u>

दिनांक 06.08.2020 को थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड पर रमेश (काल्पनिक) ने तहरीरी सूचना दी कि उनकी 06 वर्षीय पुत्री जो अपने चाचा के घर के बाहर खेल रही थी जिसको अज्ञात मोटरसाईकिल सवार बहला फुसलाकर अपने साथ बैठा ले गया है सूचना पर थाना गढमुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 342/2020 धारा 363 भादवि पंजीकृत कर अपहृता की तलाश हेतु कई टीमों का गठन कर तलाश प्रारम्भ की गयी। तलाश के दौरान दिनांक 07.08.2020 को सुबह कल्याण वाली मंढैया को जाने वाले रास्ते के पास से अपहृता बच्ची को बरामद किया गया।

अपहृता बच्ची की बरामदगी के उपरांत तत्काल मेडिकल उपचार हेतु सीएचसी गढमुक्तेश्वर भेजा गया, जहाँ चिकित्सक द्वारा उसे उपचार हेतु सीएचसी हापुड रेफर किया गया। उसी दिन मेडिकल के उपरांत हायर सेन्टर मेरठ मेडिकल कालेज मेरठ भेजा गया, जहाँ पर बच्ची कई दिनों तक उपचाराधीन रही। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376AB भादवि 5(M)/6 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। इस अभियोग की विवेचना के दौरान जनपद के फील्ड यूनिट प्रभारी श्री देवराज सिंह व उनकी टीम द्वारा घटनास्थल व अपहृता के बरामदगी स्थल से एक सदिंग्ध मोटरसाईकिल के टायर के निशान व अज्ञात अभियुक्त के जूतों के निशान वैज्ञानिक साक्ष्य हेतु संकलित किये गये । इसके आधार पर अग्रिम विवेचना के दौरान संदिग्ध आरोपी का पता लगाने हेतु 08 टीमों का गठन कर चश्मदीद गवाहों के अनुसार संदिग्ध आरोपी का हुलिया व स्कैच तैयार कराकर , व्यापक प्रचार–प्रसार कराया गया।

पुलिस अधीक्षक हापुड द्वारा स्वंय गठित टीमों को साथ लेकर मौजूद रहे तथा अपने नेतृत्व में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों के साथ गंगा जी के किनारे/जंगलों/खेतों में दबिश दी गई तथा अथक प्रयासों से दिनांक 14.08.2020 को समय लगभग 11.50 बजे ग्राम महमूदपुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा के जंगल से इस जघन्य अपराध में लिप्त पाये गये अभियुक्त दलपत पुत्र रोहताश उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम महमूदपुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशांनदेही पर घटना के समय पहने हुए कपडे

बरामद किये गये । गिरफ्तारी के उपरांत घटनास्थल निरीक्षण व अन्य वस्तुओं की बरामदगी हेतु घटनास्थल पर ले जाया गया। घटनास्थल निरीक्षण के दौरान अभियुक्त दलपत उ0नि0 अमित सिंह थाना गढमुक्तेश्वर की अचानक पिस्टल छीनकर भागने लगा तथा पुलिस पार्टी द्वारा पकडने के लिये पीछा किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से दो फायर किये, जिसके जवाब में पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में फायर किया गया जिसमें आरोपी दलपत के पैर पर गोली लगी जिसे उपचार हेतु सीएचसी गढमुक्तेश्वर ले जाया गया । अभियुक्त दलपत उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजने के उपरान्त अभियोग में समस्त सुसंगत मौखिक/वैज्ञानिक/परिस्थितिजन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही तत्परता से पूर्ण की गयी तथा 20 दिवस में समस्त विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त दलपत के विरूद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दिनांक 27.08.2020 को प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय जनपद हापुड़ के समक्ष समस्त साक्ष्य निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत करायी गयी एवं साक्षियों/साक्ष्य का माननीय न्यायालय के समक्ष त्वरित गति से परीक्षण कराया गया । सम्बन्धित विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं से वैज्ञानिक साक्ष्य जैसे DNA परीक्षण परिणाम, टायर मार्क्स, जूतों के मार्क्स, हैण्ड़ चांस प्रिन्ट आदि पत्राचार कर शीघ्र परिणाम प्राप्त कर माननीय न्यायालय में उपलब्ध कराये गये। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) जनपद हापुड़ द्वारा समस्त साक्ष्यों/तथ्यों/वैज्ञानिक साक्ष्य को परीक्षित करने के उपरान्त इस जघन्य अपराध में अभियुक्त दलपत उपरोक्त को आज दिनांक 19.10.2020 को माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) हापुड द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय अभियुक्त की अन्तिम सांस तक रहेगा तथा एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इस अभियोग में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में सभी सुसंगत एंव वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करायी गई तथा मात्र 02 माह 12 दिन में सम्पूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही/समस्त परीक्षणों की आख्या प्राप्त करना एंव अभियोजन की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए सजा दिलाने तक प्रभावी पैरवी की गई जिसके फलस्वरूप पीडित परिवार को त्वरित न्याय मिल सका।